कार्यालय :– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, खगड़िया।

सूचना

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खगड़िया अन्तर्गत कार्यरत पी0एल0वी0 की सेवा अवधि दिनांक 30.05.2026 को समाप्त हो रही है। जिसके आलोक में न्यायमण्डल खगड़िया अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खगड़िया के लिये नये सिरे से नियमानुसार 100 पारा विधिक स्वंयसेवक (PLV) की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है। नये सिरे से पी0एल0वी0 के चयन के पश्चात पूर्व से चयनित पी0एल0वी0 की सेवा समाप्त समझी जाएगी। उक्त के आलोक में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वैसे अभ्यर्थी जो निम्न योग्यता धारण करता हो, यथा :–

1. मैट्रिक स्तर का शैक्षणिक योग्यता धारण करता हो।
2. भारत का नागरिक हो।
3. शारीरिक दृष्टिकोण से स्वस्थ्य हो।
4. उत्तम चरित्र का हो।
5. समाज सेवा में अभिरूचि रखता हो।
6. कोई सरकारी पद धारण न करता हो।
7. हिन्दी एवं अंग्रेजी का समुचित ज्ञान हो।

उपरोक्त वर्णित योग्यता धारण करने वाले अभ्यंर्थी उक्त पद हेतु अपना आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर हाथों हाथ या डाक के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक **30.04.2026** तक जमा करा दें। दिनांक **30.04.2026** के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही आवेदन करने वाले आवेदक को सूचित किया जाता है कि वैसे आवेदक जो **खगड़िया, मानसी एवं अलौली** प्रखण्ड से संबंधित पंचायत के लिए आवेदन करेंगे, वे दिनांक 12.05.2026 को 10:15 बजे पूर्वाह्न में तथा वैसे आवेदक जो **गोगरी एवं परबत्ता** प्रखण्ड से संबंधित पंचायत के लिए आवेदन करेंगे, वे दिनांक 13.05.2026 को 10:15 बजे पूर्वाह्न में और वैसे आवेदक जो **चौथम एवं बेलदौर** प्रखण्ड से संबंधित पंचायत के लिए आवेदन करेंगे, वे दिनांक 14.05.2026 को 10:15 बजे पूर्वाह्न में साक्षात्कार हेतु **व्यवहार न्यायालय, खगड़िया के प्रांगण में** स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में अपने शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होवें।

पारा विधिक स्वंयसेवक के कार्य :– पारा विधिक स्वंय सेवक अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य, प्राधिकार के प्रबंध कार्यलय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार सौपे।

पदों की संख्या– { 100 } चूँकि पारा विधिक स्वयं सेवकों से गाँवों या गाँवों के समूह में कार्य लेना है। अतः जिले के सभी क्षेत्रों से (पंचायतवार) पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जायेगा। संबंधित पंचायत के योग्य आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।

आरक्षण – क्योंकि पारा विधिक स्वयं सेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं है। अतः पदों का आरक्षण नहीं है। परन्तु स्कीम के अनुरूप सभी वर्गो को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

मानदेय- रु0 750 (सात सौ पचास रुपये) प्रतिदिन। परन्तु यह मानदेय उन विशेष दिनों के लिए देय होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें विशेष कार्य करने हेतु सौपती है या स्वयं सेवक गांव से किसी व्यक्ति को विधिक सेवा हेतु विधिक सेवा प्राधिकार या ए0डी0आर0 (ADR) केन्द्र में ले आता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।

नोट :-

1.**महिला, सेवा निवृत शिक्षक, सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, डाक्टर, छात्र/विधि छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य आदि** आवेदकों को प्रथमिकता दी जाएगी।

2. आवेदन का प्रारूप प्रपत्र 1 के रूप में संलग्न है। इसे व्यवहार न्यायालय, खगड़िया के वेबसाइट https://khagaria.dcourts.gov.in पर देखा जा सकता है।

3. यह नियुक्ति सरकारी पद नहीं है।

4. आवेदन करने हेतु पत्राचार का पता :-

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
व्यवहार न्यायालय, खगड़िया।

Chandan Kumar
10/04/2025
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार
खगड़िया।

प्रपत्र–1

जिला विधिक सेवा प्राधिकार,खगड़िया।
पारा विधिक स्वंयसेवक के चयन हेतु।
(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है।)

पंचायत का नाम जिसके लिए आवेदन करना है :-

1. आवेदक का नाम :-

पासपोर्ट साइज
छायाचित्र
स्वअभिप्रमाणित

2. पिता/पति का नाम :-

3. आवेदक के पंचायत का नाम
जिसका वह निवासी है :-

4. स्थायी पता :-

5. पत्राचार पता :-

6. शैक्षणिक योग्यता :-
(छाया प्रति संलग्न)

7. अन्य योग्यता :-

8. जन्म तिथि :-

9. आवेदक की श्रेणी :-
(सामान्य/अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ावर्ग/अतिपिछड़ा वर्ग)

तिथि :-

स्थान :-

मोबाईल नं0 :-

आवेदक का हस्ताक्षर